रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 1970/आश्विन 30, 1892
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 1970/ASVINA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd October 1970

S.O. 3488.—/IDRA/18G/69.—In exercise of the powers conferred by Section 18 G and Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely,

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Third Amendment) Order, 1970.

(2) It shall come into force with effect from the 24th October, 1970.

2. In Clause 8 of the Cement Control Order, 1967,—

(i) in item (a) for the figures "154.13" the figures "157.33" shall be substituted;

(ii) in item (b), for the figures "131.13" the figures "134.33" shall be substituted.

[No. 1-48/70-CEM.]

C. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1970

एस० ओ० 3488.—आई० डी० आर० ए०/18छ/69.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है; अर्थात:—

1. (1) यह आदेश सीमेंट नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1970 कहलायेगा ।

   (2) यह 24 अक्तूबर, 1970 से लागू होगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की धारा 8 में :—

   (i) मद (क) में संख्या "154.13" के स्थान पर संख्या "157.33" रखी जाएगी;

   (ii) मद (ख) में संख्या "131.13" के स्थान पर संख्या "134.33" रखी जाएगी ।

[संख्या 1-48/70-सीमेंट.]

सी० बालसुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970